



Neutral Citation No. - 2026:AHC:1925

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 18909 वर्ष 2025

रूपेश कुमार

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के लिए अधिवक्ता	:	अजीत सिंह, हिमांशु सिंह
प्रतिवादी(गण) के लिए अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अजीत सिंह और राज्य के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव को सुना।
2. इस न्यायालय ने 16.12.2025 को रिट याचिका पर सुनवाई की और विद्वान स्थायी अधिवक्ता को निर्देश प्राप्त करने के लिए समय दिया।
3. आज, अपर सचिव, पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, लखनऊ के हस्ताक्षर के अधीन दिनांक 31.12.2025 को निर्देश अग्रेषित किए गए हैं, जिन्हें अभिलेख में ले लिया गया है।
4. यह रिट याचिका निम्नलिखित अनुतोषों की मांग करते हुए दायर की गई है:-

"I) प्रतिवादी संख्या 2, सचिव, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, 19-सी तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, विधान सभा मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिनांक 10.09.25 को पारित किए गए आक्षेपित आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

II) प्रतिवादी को एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए कि याचिकाकर्ता को आरक्षी, सिविल

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पुलिस और पीएससी सीधी भर्ती, 2018 (II) के संबंध में चयन के बाद के चरण अर्थात् शारीरिक दक्षता परीक्षा में निर्धारित समय के भीतर भाग लेने की अनुमति दी जाए।

III) इस मामले के वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में, माननीय न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी भी अन्य रिट, आदेश या निर्देश को जारी किया जाए।

IV) याचिकाकर्ता को लागत का भुगतान करने का आदेश दिया जाए। “

5. दिनांक 16.12.2025 को, निम्नलिखित आदेश पारित किया गया.-

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि रिट-ए संख्या 189 वर्ष 2020 में दिनांक 13.05.2025 को दिए गए निर्णय के अनुसार एक मानदंड निर्धारित किया गया था और रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, आक्षेपित आदेश में यह गलत तरीके से लिखा गया है कि रिट याचिकाकर्ता वर्ष 2015, 2018 और 2023 के चयन में उपस्थित नहीं हुआ था। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, रिट याचिकाकर्ता वर्ष 2015, 2018 और 2023 के चयन में उपस्थित हुआ था और उक्त चयन के लिए वह पूरी तरह से पात्र हैं।

2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह ने निर्देश प्राप्त करने/शपथपत्र दाखिल करने के लिए समय मांगा।

3. इस मामले को 06.01.2026 को अतिरिक्त वाद सूची में शीर्ष दस मामलों में शामिल कर प्रस्तुत करें।”

6. आज दिए गए निर्देशों के अनुसार, उसी के प्रस्तर 5 और 6 से पता चलता है कि रिट याचिकाकर्ता का मामला विचाराधीन है।

7. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इस मामले पर पुनरावलोकन एवं विचार किया जाएगा।

8. तदनुसार, सक्षम प्राधिकारी से मामले पर पुनर्विचार करना आवश्यक करते हुए इस रिट याचिका का निस्तारण किया जा रहा है। यदि रिट याचिकाकर्ता को कोई आपत्ति हो, तो वह पुनः न्यायालय में अनुरोध कर सकता है।

9. निर्देशों की एक प्रति रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को दी जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

6 जनवरी, 2026

राजेश

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।